संयुक्त प्रान्त पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1947

(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 20 सन् 1947)

THE UNITED PROVINCES VETERINARY COUNCIL ACT, 1947

(U.P. Act No. XX of 1947)

संयुक्त प्रान्त पशु–चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1947[1]

(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 20, 1947)

उ० प्र० अधिनियम सं0 30, 1956

द्वारा संशोधित

एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत ।

[संयुक्त प्रान्त लेजिस्लेटिव असेम्बली तथा लेजिस्लेटिव कौंसिल ने क्रमशः 9 अप्रैल, 1947 तथा 26 मई, 1947 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

20 जुलाई, 1947 ई० को गवर्नर संयुक्त प्रान्त ने भारत शासन अधिनियम, 1935 ई0 की धारा 75 के अधीन स्वीकृति प्रदान की और संयुक्त प्रान्तीय शासकीय गजट में दिनांक 2 अगस्त, 1947 ई0 को प्रकाशित हुआ]

संयुक्त प्रान्त में पशु चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

प्रस्तावना

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्त में पशु चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था की जाय;

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1947 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार[2] सम्पूर्ण [उत्तर प्रदेश][3] में होगा।

परिभाषायें

2–जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में,

(क) "परिषद" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित पशु चिकित्सा परिषद् से है;

(ख) ''चिकित्सालय'' का तात्पर्य उन संस्थाओं से हैं जहां परिषद् द्वारा अनुमोदित ढंगों से पशुओं का उपचार किया जाता हो:–

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये गजट, 1947 भाग 7, पृष्ठ 24–28 देखिए।
2. इस अधिनियम का विस्तार सारिणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित क्षेत्र में स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियम अथवा आज्ञा के अन्तर्गत तथा स्तम्भ 3 में अंकित विज्ञप्ति यदि कोई हो, के अन्तर्गत उन क्षेत्रों में स्तम्भ 4 में उल्लिखित तिथि से प्रभावी किया गया है जो प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के सामने अंकित है ।

क्षेत्र	अधिनियम अथवा आदेश जिनके अन्तर्गत प्रसार किया गया	विज्ञप्ति जिसके द्वारा प्रभावी किया गया	तिथि जिससे प्रभावी हुआ
1	2	3	4
1–जिला रामपुर	रामपुर (अप्लीकेशन आफ लाज) ऐक्ट, 1950		30 सितम्बर, 1949
2–जिला बनारस	बनारस (अप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर 1949,	3262 (1)/17– विलीन, दिनांक 30 नवम्बर, 1949	30 नवम्बर, 1949
3–जिला टेहरी–गढ़वाल	टेहरी गढ़वाल (अप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर 1949,	3262 (2)/सत्रह–विलीन, दिनांक 30 नवम्बर, 1949	30 नवम्बर, 1949

3. एडेप्टेशन ऑफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविसेंज) के लिये प्रतिस्थापित।

(ग) "विहित'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है।

(घ) ''रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी'' का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति से है।

उत्तर प्रदेश पशु–चिकित्सा परिषद्

उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् की स्थापना

3–एक परिषद स्थापित की जायगी जो [उत्तर प्रदेश][1], ''पशु चिकित्सा परिषद् '' कहलाएगी और वह परिषद् शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली निगमित निकाय होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगी तथा उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

परिषद् का संगठन

4–(1) उक्त परिषद के तेरह सदस्य होंगे जो निम्नलिखित रीति से नियुक्त किए जायेंगे, अर्थातः–

(क) एक अध्यक्ष जो [राज्य सरकार][2] द्वारा नाम निर्देशित किया जायगा;

(ख) पांच सदस्य जो [राज्य सरकार][2] द्वारा नाम निर्देशित किए जायेंगे;

(ग) तीन सदस्य, जो ऐसे पशु चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे जो [उत्तर प्रदेश][1] में रह रहे हों और इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या प्रथम निर्वाचित की दशा में, इस प्रकार रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्ह न हों ;

(घ) एक सदस्य, जो उस विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद द्वारा निर्वाचित किया जायेगा जिससे [राज्य][3] पशु चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध हो;

(ङ) दो सदस्य जो [उत्तर प्रदेश][1] विधान सभा द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे तथा एक सदस्य जो [उत्तर प्रदेश][1] विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जायगा।

निर्वाचन न होने पर सदस्यों का नाम निर्देशन

5–यदि धारा 4 में निर्दिष्ट निर्वाचक निकाय धारा 10 में निर्दिष्ट किसी रिक्ति की दशा में तीन मास के भीतर और किसी अन्य दशा में उस दिनांक तक जो धारा [35][4] की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन तदर्थ बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाय, किसी व्यक्ति को परिषद का सदस्य होने के लिए निर्वाचित न करे तो [राज्य सरकार][2] उसके स्थान पर सदस्य नाम–निर्देशित करेगी और इस प्रकार नाम–निर्देशित व्यक्ति ऐसा सदस्य समझा जायगा मानो वह ऐसे निकाय द्वारा यथाविधि निर्वाचित किया गया हो।

सदस्यों के नामों का प्रकाशन

6–धारा 4 या 5 के अधीन निर्वाचित या नाम–निर्देशित प्रत्येक सदस्य का नाम [राज्य सरकार][2] द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायगा।

सदस्यों को अनुपस्थिति छुट्टी

7–परिषद किसी सदस्य को परिषद् की बैठकों से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दे सकेगी।

आकस्मिक रिक्तियों का होना

8–(1) परिषद् के किसी ऐसे सदस्य के बारे में–

(क) जो अपने नाम–निर्देशन या निर्वाचन के दिनांक से एक मास के भीतर पद ग्रहण न करे; या

(ख) जो बिना किसी ऐसे कारण के, जो परिषद की राय में पर्याप्त हो, परिषद् की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहे; या

---

1. एडेप्टेशन ऑफ लाज आर्डर, 1950 के द्वारा (यूनाइटेड प्राविंसेज) के लिये प्रतिस्थापित।
2. एडेप्टेशन ऑफ लाज आर्डर, 1950 के द्वारा प्राविंसियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त द्वारा (प्राविंसियल) के लिये प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 30, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत अनुसूची के क्रम संख्या 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) जो लगातार छः मास से अधिक अवधि तक भारत के बाहर रहे, यह समझा जायेगा कि उसमें अपना स्थान रिक्त कर दिया है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई रिक्ति होने पर अध्यक्ष ऐसी रिक्ति के तथ्य की सूचना [राज्य सरकार][1] को तुरन्त देगा।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

9–यदि परिषद् के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाय या वह सदस्यता से त्यागपत्र दे दे, या धारा 8 की उपधारा (1) में उपबन्धित रूप से सदस्य न रह जाय तो वह रिक्ति तीन मास के भीतर, यथास्थिति नए निर्वाचन या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी।

सदस्यों की पदावधि

10–(1) परिषद् के किसी सदस्य की पदावधि उसके पद स्वीकार करने के दिनांक से तीन वर्ष होगी।

(2) कोई व्यक्ति अपनी पदावधि समाप्त होने के कारण सदस्य न रह जाने पर पुनः निर्वाचित या पुनः नाम-निर्देशित किए जाने का पात्र होगा।

गणपूर्ति और मतदान

11–(1) परिषद् को किसी बैठक में कोई कार्य तब तक नहीं किया जायगा जब तक छः सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति न हो।

(2) किसी बैठक में अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर कोई अन्य सदस्य जो उसमें उपस्थित सदस्यों में से चुना जायगा, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(3) धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर, बैठक में उठने वाले समस्त प्रश्नों का विनिश्चय बैठक में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से अथवा मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के निर्णायक मत से, किया जायगा।

(4) परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अवैध न समझी जायगी कि परिषद् में कोई रिक्ति थी या परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन या नाम निर्देशन में कोई दोष था।

बैठकों के संबंध में विनियम

12–(1) इस अधिनियम के तथा इस अधिनियम के अधीन [राज्य सरकार][1] द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद निम्नलिखित के सम्बन्ध में विनियम बना सकेगी–

(क) वह समय जब और वह स्थान जहां ऐसी बैठकें की जायेंगी;

(ख) ऐसी बैठकें बुलाने के लिए नोटिसों का जारी किया जाना; और

(ग) उनमें कार्य का संचालन।

(2) उस समय तक जब तक उपधारा (1) में निर्दिष्ट विनियम प्रवर्तित न हो जायें अक्ष्यक्ष के लिए यह वैध होगा कि वह प्रत्येक को सम्बोधित पत्र द्वारा, ऐसे समय तथा स्थान पर, जो उसे इष्टकर प्रतीत हो, बैठक बुलाए।

सदस्यों को व्ययों का भुगतान

13–परिषद् के सदस्यों को ऐसे व्ययों का भुगतान किया जायगा, जो भारा 35 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन विनियमों द्वारा समय–समय पर विहित किए जायं।

रजिस्ट्रार तथा अन्य पदधारियों की नियुक्ति

14–(1) परिषद्–

(क) एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी;

(ख) उस रजिस्ट्रार को छुट्टी स्वीकृत कर सकेगी तथा उसके स्थान पर कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी; और

1. एडेप्टेशन ऑफ लाज आर्डर, 1950 के द्वारा (प्राविंशिसल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित।

(ग) रजिस्ट्रार को तथा उसके स्थान पर कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को (यदि कोई हो) ऐसा वेतन तथा ऐसे भत्ते (यदि कोई हो) देगी, जिन्हें परिषद् समय–समय पर अवधारित करें:

प्रतिबन्ध यह है कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति, वेतन और भत्ते (यदि कोई हो) [राज्य सरकार][1], की पूर्व मंजूरी के अधीन होंगे।

(2) परिषद् ऐसे अन्य अधिकारी तथा ऐसे लिपिक वर्गीय कर्मचारी और सेवक नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे और उन्हें ऐसे वेतन और ऐसे भत्ते (यदि कोई हो) देगी, जिन्हें परिषद् अवधारित करे;

(3) रजिस्ट्रार या उसके स्थान पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(4) उपधारा (1) तथा (2) के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा। **1860 का 48**

परिषद् के पदधारियों को दंड दिया जाना और पदच्युत किया जाना

15–(1) परिषद् धारा 14 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति को उसके बारे में की जाने के लिये प्रस्थापित कार्यवाही के विरूद्ध हेतु दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात दण्ड दे सकेगी या पदच्युत कर सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि–

(क) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति की दशा में [राज्य सरकार][1], की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी;

(ख) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति को इस धारा के अधीन किये गये आदेश के विरुद्ध उसे आदेश की संसूचना के दिनांक से एक मास के भीतर राज्य सरकार को अपील करने का अधिकार होगा ।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त दण्ड देने की शक्ति के बारे में यह समझा जायेगा कि उसके अन्तर्गत किसी अधिकारी को निलम्बित करने की शक्ति भी है ।

(3) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त पदच्युत करने की शक्ति के बारे में यह समझा जायेगा कि उसके अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध पदच्युति की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता हो उसके आचरण के सम्बन्ध में जांच होने तक के लिये निलम्बित करने की शक्ति भी है।

पशु-चिकित्सा व्यवसायियों का रजिस्ट्रार

रजिस्टर रखे जाने के संबंध में परिषद् के आदेश

16–(1) परिषद् इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशीघ्र सुविधानुसार, और समय–समय पर, जैसा कि अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, पशु–चिकित्सा व्यवसायियों का रजिस्टर रखे जाने का विनियमन करने के लिये आदेश दे सकेगी।

(2) उक्त रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में रखा जायेगा जो विहित किया जाए।

रजिस्टर के संबंध में रजिस्ट्रार के कृत्य

17–(1) रजिस्ट्रार इस अधिनियम के तथा परिषद द्वारा किये गए किन्हीं आदेशों के उपबन्धों के अनुसार पशु-चिकित्सा व्यवसायियों का रजिस्टर रखेगा और उसमें प्रविष्ट पशु–चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकृत पतों या नियुक्तियों में तथा रजिस्ट्रीकृत अर्हताओं और पदवियों में समय–समय पर समस्त आवश्यक परिवर्तन करेगा और किन्हीं ऐसे पशु-चिकित्सा व्यवसायियों के नाम रजिस्टर से काट देगा जिनकी मृत्यु हो गई हो या जिन्होने स्थायी रूप से [उत्तर प्रदेश][2], में पशु-चिकित्सा व्यवसाय करना छोड़ दिया हो ।

1. एडेप्टेशन ऑफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित।

(2) रजिस्ट्रार किसी भी रजिस्ट्रीकृत पशु-चिकित्सा व्यवसायी को डाक द्वारा उसके रजिस्ट्रीकृत पते या उसकी नियुक्ति के अनुसार उसे संबोधित किया गया पत्र यह पता लगाने के लिये भेज सकेगा कि क्या उसने [उत्तर प्रदेश][1] में पशु–चिकित्सा व्यवसाय करना छोड़ दिया है या उसके निवास स्थान अथवा नियुक्ति में कोई परिवर्तन हुआ है, और यदि ऐसा पत्र प्रेषित किये जाने से छः मास की अवधि के भीतर उसका कोई उत्तर प्राप्त न हो, तो रजिस्ट्रार ऐसे रजिस्ट्रीकृत पशु-चिकित्सा व्यवसायी का नाम रजिस्टर से काट सकेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन काटा गया कोई नाम परिषद् के निदेश के अधीन रजिस्टर में फिर से प्रविष्ट किया जा सकेगा।

रजिस्ट्रीकृत किये जाने के हकदार व्यक्ति

18–अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति तथा ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के किसी अन्य राज्य में पशु-चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन तत्समय रजिस्ट्रीकृत हो, उस दशा में जब ऐसे अधिनियम को प्रशासित करने वाले प्राधिकारी से पारस्परिक रजिस्ट्रीकरण का ठहराव किया गया हो, एतद्पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस का भुगतान करने पर जो धारा 35 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन तदर्थ बनाये गये विनियमों द्वारा नियत की जाय, पशु-चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने का हकदार होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि रजिस्ट्रार किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके सम्बन्ध में वह यह समझे कि परिषद धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करने का विचार रख सकती है, रजिस्टर में प्रविष्टि के लिये प्राप्त आवेदन परिषद् को निर्दिष्ट करेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि रजिस्ट्रार उस दशा में जब परिषद् द्वारा ऐसा निदेश दिया जाय तो किसी ऐसे व्यक्ति का नाम रजिस्टर में प्रविष्ट करने से इंकार करेगा जिसके पास [* * *][2] भारत में प्रदान की गयी कोई पशु चिकित्सा उपाधि डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र हो।

अनुसूची का संशोधन

19–यदि परिषद् की रिपोर्ट पर या अन्यथा, [राज्य सरकार][1] का समाधान हो जाय कि–

(क) किसी विश्वविद्यालय, परीक्षण निकाय या अन्य संस्था द्वारा दी गयी कोई पदवी या प्रमाणित की हुई कोई अर्हता इस बात की पर्याप्त गारंटी है कि ऐसी पदवी या अर्हता रखने वाले व्यक्ति को अपने व्यवसाय को कुशलतापूर्वक करने के लिये अपेक्षित ज्ञान और प्रवीणता प्राप्त है; या

(ख) अनुसूची में निर्दिष्ट पदवी या अर्हता यथा पूर्वोक्त बातों के लिये पर्याप्त गारंटी नहीं है,

तो वह उस दशा में जब वह उचित समझे, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि –

(1) (क) की दशा में, ऐसी पदवी या अर्हता रखने से एतद्पश्चात अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस का भुगतान करने पर जो धारा 35 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन बनाये गये विनियम द्वारा विहित की जाय, कोई व्यक्ति अपना नाम पशु चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में प्रविष्ट कराने का हकदार होगा; या

(2) (ख) की दशा में, ऐसी पदवी या अर्हता रखने से कोई व्यक्ति अपना नाम उक्त रजिस्टर में प्रविष्ट कराने का हकदार न होगा ।

---

1. एडेप्टेशन ऑफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्रविशिंयल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित।
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा राज्य (ब्रिटिश) निकाला गया।

पशु–चिकित्सा महाविद्यालय या विद्यालय से जानकारी मांगने की परिषद् की शक्ति

20–परिषद् को यह शक्ति होगी कि वह ऐसे पशु चिकित्सा महाविद्यालय या विद्यालय के जो अनुसूची में सम्मिलित हो या सम्मिलित होने का इच्छुक हो, शासी निकाय या प्राधिकारियों से–

(क) ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां या अन्य जानकारी भेजने की मांग करे, जिनकी कि परिषद् उनमें पशु औषधि–चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा के सम्बन्ध में दिये जाने वाले शिक्षण की दक्षता का निर्णय कर सकने के लिये अपेक्षा करे; और

(ख) ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने की मांग करे जिनसे ऐसे महाविद्यालय या विद्यालय द्वारा ली जाने वालो परीक्षाओं में परिषद् द्वारा तदर्थ प्रतिनियुक्त परिषद् का सदस्य उपस्थित हो सके ।

रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदकों से अपेक्षित जानकारी

21–ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो पशु चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने के लिये आवेदन दे वह –

(क) रजिस्ट्रार का समाधान करेगा कि उसे धारा 19 के अधीन जारी की गयी अधिसूचनाओं द्वारा (यदि कोई हो) यथापरिवर्तित अनुसूची में निर्दिष्ट कोई पदवी या अर्हता प्राप्त है; और

(ख) रजिस्ट्रार को उन दिनांकों की सही–सही जानकारी देगा जब उसने वे पदवियां या अर्हतायें प्राप्त की हों जिनके आधार पर उसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने की मांग करने का हक प्राप्त हुआ हो; और

(ग) रजिस्ट्रार को कोई भी ऐसी जानकारी देगा जिसकी वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन के प्रयोजनों के लिये युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा करें।

रजिस्टर में नयी पदवियों तथा अर्हताओं का प्रविष्ट किया जाना

22–यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम पशु–चिकित्सा व्यवसायियों की सूची में प्रविष्ट हो, उस पदवी या अर्हता से, जिसके सम्बन्ध में उसे रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, भिन्न कोई पदवी या अर्हता प्राप्त करे तो वह ऐसी फीस का भुगतान करने पर जो धारा 35 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन बनाये गये विनियम द्वारा तदर्थ विहित की जाय रजिस्टर में अपने नाम के सामने पहले की गई किसी प्रविष्टि को या तो प्रतिस्थापित कराकर या उसमें परिवर्तन कराकर ऐसी अन्य पदवी या अर्हता प्रकट करने वाली प्रविष्टि कराने का हकदार होगा।

फीस का व्ययन

23–इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा प्राप्त समस्त फीसों का उपयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, विहित रीति से किया जायेगा।

रजिस्ट्रार के विनिश्चय के विरूद्ध परिषद् को अपील

24–यदि कोई व्यक्ति पशु–चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में उसकी कोई पदवी या अर्हता प्रविष्ट करने से इंकार करने के रजिस्ट्रार के विनिश्चय से असंतुष्ट हो तो, वह ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीन मास के भीतर किसी भी समय परिषद् को अपील कर सकेगा।

कपटपूर्ण तथा गलत प्रविष्टियों का काटा जाना

25–पशु चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में की गयी कोई ऐसी प्रविष्टि, जिसके संबंध में परिषद् के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाय कि वह कपटपूर्ण या गलत ढंग से की गयी है, सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस दिये जाने तथा उसकी आपत्तियों पर (यदि कोई हो) विचार कर लिये जाने के पश्चात् परिषद् के लिखित आदेश के अधीन काटी जा सकेगी।

रजिस्टर में प्रविष्टि के किये जाने का प्रतिषेध करने की या उसे हटाने का निदेश देने आदि की परिषद् की शक्ति

26–(1) परिषद्, [रजिस्ट्रार][1] से निर्देश प्राप्त होने पर या अन्यथा, रजिस्टर में किसी ऐसे पशु चिकित्सा व्यवसायी का नाम प्रविष्ट किये जाने का प्रतिषेध कर सकेगी या उससे हटाने का आदेश दे सकेगी :–

(क) जिसे किसी दण्ड न्यायालय द्वारा या सेना न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिये कारावास का दण्ड दिया गया हो जिससे, परिषद् की राय में, उसके चरित्र में ऐसा दोष उपदर्शित होता हो जिसके कारण रजिस्टर में उसका नाम प्रविष्ट करना या बनाये रखना अवांछनीय हो; या

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 30, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत अनुसूची के क्रम–संख्या 4 द्वारा शब्द (रजिस्टर) के लिये प्रतिस्थापित।

(ख) जिसे परिषद् ने जांच के बाद (जिसमें उसे अपनी प्रतिवाद में सुनवाई का तथा या तो स्वयं या विधि परामर्शदाता, वकील, प्लीड़र या अटार्नी द्वारा उपस्थित होने का अवसर दिया गया हो और जो परिषद् के विवेकानुसार बन्द कमरे में की जा सकेगी) बैठक में उपस्थित और मत देने वाले कम से कम दो–तिहाई सदस्यों के बहुमत से व्यावसायिक दृष्टि से निन्दनीय आचरण का दोषी पाया हो ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी पशु–चिकित्सा व्यवसायी का नाम रजिस्टर से इस आधार पर निकाले जाने या हटाये जाने का औचित्य सिद्ध करने वाली नहीं समझी जायगी कि उसने पशु औषधि चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा का ऐसा सिद्धांत अपनाया है जो तत्समय स्वीकृत विचारधारा के अनुरूप नहीं है या उसका किसी अरजिस्ट्रीकृत पशु–चिकित्सा व्यवसायी से, जब तक कि वह अरजिस्ट्रीकृत पशु–चिकित्सा व्यवसायी––

(क) अनुसूची में विनिर्दिष्ट अर्हताओं में से कोई अर्हता रखता हो; और

(ख) ऐसा व्यक्ति न हो, जिसके नाम के सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे परिषद् द्वारा उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर से निकाल या हटा दिया गया है या उसके रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन दिये जाने पर उसे इस प्रकार निकाल दिया जायगा, साहचर्य रहा है।

(3) परिषद् यह निदेश दे सकेगी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन आदेश दिया गया हो, यथास्थिति रजिस्टर में प्रविष्ट या पुनः प्रविष्ट कर लिया जाय।

परिषद् के विनिश्चय के विरूद्ध राज्य सरकार को अपील

27–(1) धारा 24 या 26 के अधीन परिषद् के प्रत्येक विनिश्चय के विरुद्ध [राज्य सरकार][1] को अपील की जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीन मास के भीतर की जायगी।

वादों तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों का वर्जन

28–[राज्य सरकार][1], या परिषद् या रजिस्ट्रार को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।

मृत्यु की सूचना, और रजिस्टर से नामों का काटा जाना

29–(1) मृत्यु सम्बन्धी प्रत्येक रजिस्ट्रार जो किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त करे जिसके नाम के बारे में उसे यह ज्ञात हो कि वह पशु–चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में प्रविष्ट है, मृत्यु के समय तथा स्थान की विशिष्टियां देते हुए, ऐसी मृत्यु के सम्बन्ध में स्वहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र परिषद् के रजिस्ट्रार को डाक द्वारा अविलम्ब भेजेगा।

(2) उक्त प्रमाण–पत्र या ऐसी मृत्यु के सम्बन्ध में अन्य विश्वसनीय सूचना होने पर रजिस्ट्रार मृत व्यक्ति का नाम रजिस्टर से काट देगा।

अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अपने को रजिस्ट्रीकृत निरूपित करने पर शास्ति

30–यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम पशु चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में प्रविष्ट न हों, झूठे ही यह बहाना करेगा कि उसका नाम इस प्रकार प्रविष्ट है या अपने नाम या पदवी के सम्बन्ध में किन्हीं ऐसे शब्दों पर अक्षरों का प्रयोग करेगा जिनसे यह निरूपण हो कि उसका नाम इस प्रकार प्रविष्ट है, तो वह, चाहे ऐसा निरूपण करने से कोई व्यक्ति वास्तव में प्रवंचित हो या नहीं, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो तीन सौ रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

---

1. एडेप्टेशन ऑफ लाज आर्डर, 1950 के द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित।

जांच तथा अपीलों की कार्यवाहियां

31–धारा 26 के अधीन की गई किसी जांच या धारा 24 के अधीन की किसी अपील के प्रयोजन के लिए परिषद् को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्थ के अन्तर्गत न्यायालय समझा जायगा और वह पब्लिक सर्वेंटस (इनक्वायरीज) ऐक्ट, 1850 के अधीन नियुक्त किए गए आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करेगी, और ऐसी प्रत्येक जांच तथा अपील, यथा सम्भव उक्त पब्लिक सर्वेन्ट्स (इन्क्वायरीज) ऐक्ट, 1850 की धारा 5 तथा धारा 8 से 10 तक के उपबन्धों के अनुसार संचालित की जायेगी।

कतिपय नियुक्तियों का रजिस्ट्रीकृत पशु–चिकित्सा व्यवसायियों के लिए आरक्षित किया जाना

32–रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायियों से भिन्न कोई व्यक्ति किसी ऐसे पशु चिकित्सालय में जिसे पूर्णतः या अंशतः सार्वजनिक या स्थानीय निधियों से आश्रय मिलता हो, या किसी सार्वजनिक अधिष्ठान, निकाय या संस्था में पशु औषधि चिकित्सक, शल्य चिकित्सक या अन्य पशु चिकित्साधिकारी के रूप में या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन पशु–चिकित्सा अधिकारी के रूप में, नियुक्ति के लिये तब तक सक्षम न होगा जब तक वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो।

अर्ह पशु–चिकित्सा व्यवसायियों के प्रमाण–पत्र

33–किसी पशु–चिकित्सा व्यवसायी या पशु–चिकित्सा अधिकारी से किसी अधिनियम द्वारा अपेक्षित कोई प्रमाण–पत्र तब तक वैध न होगा जब तक कि उस पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो।

पशु–चिकित्सा व्यवसायियों की वार्षिक सूची

पशु–चिकित्सा व्यवसायियों को वार्षिक सूची का प्रकाशन तथा उसमें की गयी प्रविष्टियों के संबंध में उप–धारणा

34–(1) रजिस्ट्रार प्रत्येक वर्ष परिषद् द्वारा तदर्थ नियत दिनांक को या उसके पूर्व पशु–चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में तत्समय प्रविष्ट नामों की शुद्ध सूची मुद्रित तथा प्रकाशित करायेगा जिसमें निम्नलिखित बातें दी हुई होंगी––

(क) रजिस्टर में प्रविष्ट समस्त नाम जो कुलनामों के अनुसार वर्णक्रम से रखे गये हों,

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का रजिस्ट्रीकृत पता या नियुक्ति जिसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट हो; और

(ग) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की रजिस्ट्रीकृत पदवियां और अर्हतायें और वह दिनांक जब ऐसी प्रत्येक पदवी प्रदान की गयी या ऐसी प्रत्येक अर्हता प्रमाणित की गयी।

(2) प्रत्येक न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि कोई व्यक्ति, जिसका नाम ऐसी सूचियों में से नवीनतम सूची में प्रविष्ट हो, इस अधिनियम के अधीन यथाविधि रजिस्ट्रीकृत है और कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम इस प्रकार प्रविष्ट न हो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसका नाम ऐसी सूची में न हो, पशु–चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में ऐसे व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की, रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित/प्रमाणित प्रति, इस बात का साक्ष्य होगी कि वह व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।

नियम और विनियम

नियम और विनियम

35–(1) [राज्य सरकार][1] इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम से संगत नियम, समय–समय पर बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार निम्नलिखित के विषय में नियम बना सकेगी–

(क) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों को विनियमित करना;

(ख) इस अधिनियम अधीन के अधीन रखे जाने वाले पशु–चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर का प्रपत्र विहित करना;

1. एडप्टेशन ऑफ लाज आर्डर, 1950 के द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित।

(ग) फीसों के उपयोग को विनियमित करना;

(घ) परिषद् द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करना––

(i) धारा 26 के अधीन किसी जांच का संचालन; और

(ii) धारा 24 के अधीन, रजिस्ट्रार के विनिश्चय के विरुद्ध की गयी अपीलों का निस्तारण।

(3) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, परिषद्, [राज्य सरकार][1], की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित के संबंध में विनियम बना सकेगी––

(क) परिषद के सदस्यों को देय व्ययों को विहित करना;

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण के संबंध में ली जाने वाली फीस विहित करना;

(ग) लेखा रखने के कार्य को विनियमित करना, और

(घ) धारा 14 के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें विहित करना।

(4) ऐसे समस्त नियम और विनियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे।

राज्य सरकार द्वारा परिषद् का नियंत्रण

36–यदि किसी समय [राज्य सरकार][1], को यह प्रतीत हो कि परिषद् ने इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है या उसकी सीमा का उल्लंघन किया है या उसका दुरुपयोग किया है या इस अधिनियम के अधीन उस पर आधिरोपित कर्तव्य का पालन नहीं किया है तो राज्य सरकार उस दशा में जब वह शक्ति का इस प्रकार प्रयोग न करने, उसकी सीमा का उल्लंघन करने या उसके दुरुपयोग करने को गंभीर प्रकार का समझे, परिषद् को उसकी विशिष्टयां अधिसूचित करेगी और यदि परिषद् उतने समय के भीतर जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियत किया जाय ऐसे व्यतिक्रम, सीमा के उल्लंघन या दुरूपयोग का उपचार न करे तो राज्य सरकार परिषद् को विघटित कर सकेगी और परिषद् की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन ऐसे अभिकरण द्वारा और ऐसी अवधि के लिये करा सकेगी जिसे वह उचित समझेः

प्रतिबन्ध यह है कि वह धारा 4 में विहित सदस्यों की नयी परिषद् संघटित करने के लिये सुविधानुसार यथाशीघ्र कारवाई करेगी ।

अनुसूची

पशु-चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में अपने नाम प्रविष्ट कराने के हकदार व्यक्ति––

(1) मद्रास और पंजाब विश्वविद्यालय के पशु-चिकित्सा विज्ञान के बैचलर, मास्टर तथा डाक्टर।

(2) लाइसेंस प्राप्त पशु–चिकित्सा व्यवसायी (पंजाब)।

(3) मद्रास पशु-चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातक ।

(4) बम्बई पशु-चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातक ।

(5) बंगाल पशु-चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातक ।

(6) पंजाब पशु-चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातक ।

(7) बिहार पशु-चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातक ।

(8) रायल कालेज आफ वेटेरिनरी सर्जन्स, ग्रेट ब्रिटेन ऐंड आयरलैन्ड के फेलो तथा सदस्य।

(9) ग्रेट ब्रिटेन तथा ब्रिटिश कामनवेल्थ के अन्य भागों के किसी विश्वविद्यालय के पशु–चिकित्सा विज्ञान के बैचलर मास्टर तथा डाक्टर।

1. *Subs.* by the A.O. 1950 for (Provincial Government).